

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक एफ 4-10/2020/29-1
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/03/2020

1. आयुक्त सह-संचालक,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
संचालनालय, इन्द्रावत भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर,
2. प्रबंध संचालक,
छोगो राज्य नागरिक आपूर्ति निगम,
मुख्यालय, सेक्टर-24,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय: नोबल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये घोषित शालाओं के अवकाश के दिनों में मध्याह्न भोजन अंतर्गत बच्चों को खाद्यान्न की आपूर्ति बाबत।

संदर्भ -स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक एफ 22-6/2020/29-1 दिनांक 19.03.2020.

उपरोक्त विषयांतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र में उल्लेखित प्रस्ताव अनुसार नोबल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये घोषित शालाओं के अवकाश के दिनों में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को 40 दिन का सूखा राशन (चावल) निम्नानुसार आवंटित किया जाता है -

खाद्यान्न सामग्री	प्राथमिक शालाओं के बच्चों हेतु मात्रा (मार्च एवं अप्रैल 2020 हेतु) कुल 40 दिवस हेतु	अपर प्राथमिक शाला के बच्चों हेतु मात्रा (मार्च एवं अप्रैल 2020 हेतु) कुल 40 दिवस हेतु
चावल	04 किलोग्राम	06 किलोग्राम

कृपया उपरोक्त संवध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(मनोज कुमार सोनी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पु.क्रमांक एफ 4-10/2020/29-1
प्रतिलिपि-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/03/2020

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य सचिव के उप सचिव, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग